न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 20 / 2022
दायर दिनांक :– 06.04.2022

अनवान

लक्ष्मण पिता छगना धाकड नि फलासिया तह. जहाजपुर

वादी..........

बनाम

1. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर
2. अनील पिता महावीर धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर
3. काली पत्नि छगना धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर
4. गीता पत्नि महावीर धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर
5. टीना पुत्री भैरू धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर
6. दिनेश पिता महावीर धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर
7. नोरती पुत्री भैरू धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर
8. परमेश्वर पिता महावीर धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर
9. सोनिया पुत्री भैरू धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर
10. भूरी पत्नि छगना धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर
11. हिम्मत पिता भैरू धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण..........

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री रितेश कांटिया, एडवोकेट वादी

:: निर्णय ::

दिनांक 16.05.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम फलासिया प. ह. फलासिया तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 385, 387, 392 कुल किता 03 रकबा 1.0927 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में सहखातेदारी से दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि मोडा पिता गोरू से छगना पिता बलदेव धाकड ने जमीन खरीदी। सम्वत 2016 के मिलान खसरा में मोडा वल्द गोरू 2/3 छगना वल्द बलेदव 1/3 खातेदारी से दर्ज है। लेकिन वाद की जमाबन्दी में घीसा पुत्र बलदेव का नाम छगना पिता बलदेव के नाम के साथ जोड दिया जबकि घीसा नाम का परिवार में कोई व्यक्ति नही था राजस्व रेकार्ड में घीसा पिता बलदेव का नाम राजस्व रेकार्ड में राजस्व अधिकारियों ने गलत जोड दिया बलदेव धाकड के घीसा नाम की औलाद नहीं थी। छगना की मृत्यु हो गई उसके वारीस दो लडके महावीर व लक्ष्मण व दो पुत्रिया काली व गंगा व पत्नि भूरी रही। महावीर की मृत्यु हो गई उसके तीन लडके अनिल, परमेश्वर, दिनेश व पत्नि गीता रही। गंगा की मृत्यु हो गई उसकी तीन लडकिया नोरती, टीना, सोनिया व लडका हिम्मत रहा। वादी ने राजस्व रेकार्ड में घीसा पिता बलदेव का नाम गलत दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

करने के सन्दर्भ राजस्व अभियान में राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती के संबध में प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर राजस्व अभियान अधिकारी ने गिरदावर पटवारी से रिपोर्ट मांगी दिनांक 22.10.2021 को गिरदावर पटवारी ने जॉच रिपोर्ट तैयार की उसमें माना कि वक्त सेटलमेन्ट ग्राम फलासिया के आ.न. 385, 387, 392 रकबा 6.15 बीघा भूमि मोडू पिता गोरू 2/3 छगना पिता बलदेव 1/3 धाकड दर्ज रेकार्ड था, घीसा पिता बलदेव नाम सम्वत 2024 से 2027 की जमाबंदी में सहवन से दर्ज हो गया व नामान्तरण नं. 1239 दिनांक 23.09.2021 को छगना की मृत्यु होने से विरासत से छगना की बजाय अनिल, परमेश्वर, दिनेश, महावीर, गीता पत्नि महावीर, लक्ष्मण, काली पिता छगना धाकड, टीना, नोरती, सोनिया, हिम्मत पिता भैरू धाकड के दर्ज कर दी। राजस्व रेकार्ड घीसा पिता बलदेव का नाम गलत दर्ज होने से वादी को परेशानी हो रही हैं वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 से 12 अपने हक व हिस्से की जमीन से महरूम हो रहे हैं। राजस्व अभियान अधिकारी ने राजस्व अभियान में घीसा पिता बलदेव का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाने का आदेश दिया परन्तु आदेश की पालना नही होने से व तहसीलदार जहाजपुर द्वारा न्यायालय में वाद दायर करने की हिदायत देने से वादी को न्यायालय की शरण लेनी पडी। वाद इन्द्राज दुरूस्ती व राजस्व रेकार्ड में नाम गलत होने से दावा 80 सी पी सी का नोटिस दिये बिना पेश नही कर सकते इसलिये 80 (2) सी पी सी का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है नोटिस देने में समय लगेगा इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया हैं वादी को वाद हेतु दिनांक दिसम्बर 2021 से तहसीलदार द्वारा वाद पेश करने की हिदायत देने से दिसम्बर 2021 से वाद हेतु उत्पन्न होकर जारी हैं प्रतिवादी सं. 2 से 12 को फोरमल पक्षकारा बनाया हैं सहखातेदार होने से उनके विरूद्व दाद नही चाही गई। ग्राम फलासिया प. ह. फलासिया तह. जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 385, 387, 392 रकबा 1.0927 हैक्टेयर भूमि जमाबन्दी में घीसा पिता बलदेव का नाम लिखा उसे हटाये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी सं. 1 के पारित कराये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने वाद पत्र की ताईद में खाता सं. 54 की नकल जमाबन्दी दिनांक 22.12.2021 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सम्वत 2024 से 2027 प्रदर्श 2, नामान्तरकरण सं. 663 स्वीकृति दिनांक 14.07.1994 की प्रति प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2015 से 2016 प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2048 से 2051 प्रदर्श 5, नकल तरमीम पर्चा मौका प्रदर्श 6, इन्द्राज दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रदर्श 6, पटवारी रिपोर्ट प्रदर्श 7, उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिया आदेश प्रदर्श 8 तथा जमाबन्दी सम्वत 2034 से 2038 की प्रति पेश की, जो शामिल पत्रावली है। तथा गवाह बयान में लक्ष्मण धाकड, पी डब्ल्यु 1, रामदेव धाकड, पी

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

डब्ल्यु 2 उदयलाल धाकड पी डब्ल्यु 3 के बयान प्रस्तुत किये गये। जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया कि उक्त वर्णित कृषि भूमि मोडा पिता गोरू से छगना पिता बलदेव धाकड ने जमीन खरीदी सम्वत 2016 के मिलान खसरा मे मोडा वल्द गोरू 2/3 छगना वल्द बलदेव 1/3 खातेदारी से दर्ज है। लेकिन बाद की जमाबन्दी मे धीसा पुत्र बलदेव का नाम छगना पिता बलदेव के नाम के साथ जोड दिया जबकि धीसा नाम का परिवार मे कोई व्यक्ति नही था धीसा पिता बलदेव का नाम राजस्व रेकार्ड मे राजस्व अधिकारियो ने गलत जोड दिया बलदेव धाकड के धीसा नाम की औलाद नही थी। मोडा पिता गोरू से उसका बचा हुआ 2/3 हिस्सा भी छगना पिता बलदेव धाकड ने जरिये विक्रय पत्र से क्रय कर लिया, जिससे जमाबन्दी सम्वत 2052 से 2055 मे छगना पिता बलदेव 5/6, धीसा पिता बलदेव 1/6 दर्ज रेकार्ड है। वादी ने राजस्व रेकार्ड में धीसा पिता बलदेव का नाम गलत दर्ज करने के सन्दर्भ राजस्व अभियान में राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती के संबध मे प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर राजस्व अभियान अधिकारी ने गिरदावर पटवारी से रिपोर्ट मांगी दिनांक 22.10.2021 को गिरदावर पटवारी ने जॉच रिपोर्ट तैयार की उसमे माना की वक्त सेटलमेन्ट ग्राम फलासिया के आ.न. 385, 387, 392 रकबा 6.15 बीघा भूमि मोडू पिता गोरू 2/3 छगना पिता बलदेव 1/3 धाकड दर्ज रेकार्ड था, धीसा पिता बलदेव नाम सम्वत 2024 से 2027 की जमाबंदी में सहवन से दर्ज हो गया। नामान्तरण नं. 1239 दिनांक 23.09.2021 को छगना की मृत्यु होने से विरासत से छगना की बजाय अनिल, परमेश्वर, दिनेश, महावीर, गीता पत्नि महावीर, लक्ष्मी, काली पिता छगना धाकड, टीना, नोरती, सोनिया, हिम्मत पिता भैरू धाकड के दर्ज कर दी। राजस्व रेकार्ड धीसा पिता बलदेव का नाम गलत दर्ज होने से वादी को परेशानी हो रही हैं वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 से 12 अपने हक व हिस्से की जमीन से महरूम हो रहे हैं राजस्व अभियान अधिकारी ने राजस्व अभियान मे धीसा पिता बलदेव का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाने का आदेश दिया परन्तु आदेश की पालना नही हुई। ग्राम फलासिया प. ह. फलासिया तह. जहाजपुर मे स्थित आराजी नं. 385, 387, 392 रकबा 1.0927 हैक्टेयर भूमि जमाबन्दी में धीसा पिता बलदेव का नाम लिखा उसे हटाये जाने की दर्ज किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी सं. 1 जारी कराना फरमावे।

मैंने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि वर्तमान खाता सं. 54 नकल जमाबन्दी दिनांक 22.12.2021 प्रदर्श 1 के अनुसार छगना पिता बलदेव के वारिसों के नाम कुल 5/6 हिस्सा दर्ज है, जिसमें अनिल पुत्र महावीर 1/24, काली पुत्री छगना 1/6, गीता पत्नि महावीर 1/24, टीना पुत्री भैरू 1/24, दिनेश पिता महावीर 1/24, नोरती पुत्री भैरू 1/24, परमेश्वर पिता महावीर 1/24, भूरी पत्नि छगना 1/6, लक्ष्मण पिता छगना 1/6, सोनिया पुत्री भैरू 1/24, हिम्मत पिता भैरू 1/24 दर्ज है, एंव धीसा पिता

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

बलदेव का 1/6 हिस्सा दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2015 से 2018 प्रदर्श 4 अनुसार उक्त भूमि पूर्व में मोडा पिता गोरू 2/3, छगना पिता बलदेव 1/3 के नाम दर्ज रेकार्ड थी। नकल जमाबन्दी सम्वत 2024 से 2027 प्रदर्श 2 अनुसार छगना पिता बलदेव 1/3 हिस्से के बजाय घीसा, छगना पिता बलदेव 1/3 दर्ज हो गया। वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये रिकोर्ड अनुसार छगना पिता बलदेव के 1/3 हिस्से में पहली बार छगना के साथ घीसा पिता बलदेव का नाम जमाबंदी सम्वत 2024 से 2027 में दर्ज हुआ। जमाबन्दी सम्वत 2048 से 2051 में उक्त नाम बदस्तूर दर्ज रहा। नामान्तरकरण सं. 663 प्रदर्श 3 अनुसार मोडा पिता गोरू 2/3 से छगना पिता बलदेव धाकड ने 2/3 जमीन जरिये विक्रय पत्र से क्रय कर ली, जिससे जमाबन्दी सम्वत 2052 से 2055 में छगना पिता बलदेव 5/6, घीसा पिता बलदेव 1/6 दर्ज रेकार्ड है। ग्राम पंचायत फलासिया द्वारा दिनांक 22.10.2021 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार घीसा पिता बलदेव धाकड नाम का व्यक्ति इनके परिवार में नहीं है। वादी की ओर से कराये गये 02 स्वतंत्र गवाह रामदेव धाकड पी डब्ल्यु 2, उदयलाल धाकड पी डब्ल्यु 3 द्वारा भी अपने बयानों में बताया कि बलदेव धाकड के एक ही लडका छगना था, घीसा नाम से बलदेव के कोई लडका नही था। घीसा नाम से इनके परिवार में कोई व्यक्ति नही था। प्रार्थना पत्र धारा 136 आर टी ए में तहसीलदार जहाजपुर की जाँच रिपोर्ट में छगना पिता बल्देव 5/6, घीसा पिता बल्देव 1/6 धाकड के स्थान पर छगना पिता बलदेव धाकड दुरूस्ती किया जाना उचित बताया है। पटवारी हल्का फलासिया एवं भु. अ. नि. बावडी द्वारा दिनांक 22.10.2021 को बनाया गया मौका पर्चा अनुसार घीसा पिता बल्देव नाम से इस ग्राम में कोई व्यक्ति मौजुद नही है। तथा पूर्व में भी इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। उपरोक्त आधारो पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बलदेव के घीसा नाम का कोई पुत्र नहीं था। एवं जमावंदी सम्वत 2024 से 2027 में छगना पिता बलदेव के 1/3 हिस्से में छगना के साथ घीसा पिता बलदेव का नाम त्रुटिपूर्वक जोडा गया है। तब से ही घीसा पिता बलदेव का विवादित आराजी में 1/6 हिस्सा त्रुटिपूर्वक शामिल होकर वदस्तूर चला आ रहा है। घीसा का नाम त्रुटिवश राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से घीसा पिता बल्देव का नाम विलोपित किया जाकर छगना पिता बल्देव के वारिसान के नाम किया जाना उचित है, उपरोक्त विवेचन अनुसार घीसा पिता बल्देव का नाम विलोपित किया जाना उचित हैं जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 डिक्री किया जाता है कि ग्राम फलासिया प. ह. फलासिया तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 385, 387, 392 कुल किता 03 रकवा 1.0927 हैक्टेयर भूमि में घीसा पिता बलदेव का नाम विलोपित किया जाकर घीसा के 1/6 हिस्से को छगना पिता बलदेव का मानते हुए इस 1/6 हिस्से पर छगना पिता बलदेव के वारिसानो को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिव की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

लक्ष्मण पिता छगना धाकड नि फलासिया तह. जहाजपुर

वादी..........

बनाम

1. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर
2. अनील पिता महावीर धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर
3. काली पत्नि छगना धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर
4. गीता पत्नि महावीर धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर
5. टीना पुत्री भैरू धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर
6. दिनेश पिता महावीर धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर
7. नोरती पुत्री भैरू धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर
8. परमेश्वर पिता महावीर धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर
9. सोनिया पुत्री भैरू धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर
10. भूरी पत्नि छगना धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर
11. हिम्मत पिता भैरू धाकड नि. फलासिया तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण..........

दावा बाबत – 88, 89, 90 आर. टी. ए.

प्रकरण संख्या :– 20 / 2022

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री रितेश कांटिया का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 डिक्री किया जाता है कि ग्राम फलासिया प. ह. फलासिया तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 385, 387, 392 कुल किता 03 रकबा 1.0927 हैक्टेयर भूमि में घीसा पिता बलदेव का नाम विलोपित किया जाकर घीसा के 1/6 हिस्से को छगना पिता बलदेव का मानते हुए इस 1/6 हिस्से पर छगना पिता बलदेव के वारिसानो को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.05.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)

उपखण्ड अधिकारी,

जहाजपुर (भीलवाडा)

c@rider/dikri

Scanned with CamScanner